कार्यालय जिलाधिकारी, खगड़िया
जिला राजस्व शाखा
अल्पकालीन सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि खगड़िया जिला अन्तर्गत कोशी–बागमती नदी के संगम पर स्थित क्षतिग्रस्त बी0पी0 मंडल सेतु के सामानान्तर नाव पुल पर परिचालन को विभाग द्वारा अस्थाई सैरात घोषित किया गया है। तदालोक में वर्ष 2017–18 में उक्त सैरात की बन्दोबस्ती The Bengal Ferries Act 1885 एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के निहित प्रावधानों के तहत अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रथम तीन माह के लिए कार्यालय वैश्म में की जायेगी, जिसे नदी में पानी की स्थिति के अनुसार अधिकतम माह सितम्बर 2018 तक बढ़ाया जा सकता है।। सैरात की बन्दोबस्ती हेतु अनुवर्त्ती तिथि भी निर्धारित की गई है जो निम्नांकित है :–

क0 सं0	सैरात का नाम	सुरक्षित जमा राशि	प्रतिभूति राशि (सुरक्षित जमा का 10%)	डाक की तिथि, अनुवर्त्ती तिथि एवं समय
1	3	4	5	6
1	क्षतिग्रस्त बी0पी0 मंडल सेतु के सामानान्तर नाव पुल	5,000.00 प्रतिदिन 4,50,000.00 प्रति तीन माह 18,25,000.00 वार्षिक	45,000.00	तिथि 13/01/2018 तिथि 15/01/2018 तिथि 16/01/2018 समय 5:00 बजे अपराह्न

शर्त्ते

1. बन्दोवस्ती में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को प्रतिभूति राशि नाजीर रसीद अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा जो जिलाधिकारी, खगड़िया के नाम से देय होगा। बन्दोवस्ती में असफल रहने वाले को बन्दोवस्ती के बाद प्रतिभूति राशि वापस कर दी जायेगी ।
2. बन्दोबस्ती की प्रक्रिया में वैसे व्यक्ति ही भाग ले सकते है जो पूर्व के बकाएदार नहीं होंगे। इच्छुक व्यक्ति संबंधित पुलिस अधीक्षक, खगड़िया से अपने आचरण एवं पूर्ववृत के संबंध में एक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे जिसका आचरण स्वच्छ नहीं होगा उन्हें बन्दोवस्ती में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।
3. बन्दोबस्ती में सफल रहने वाले डाकवक्ता को बन्दोवस्ती राशि का प्रथम किस्त के रूप में बन्दोबस्त राशि का 50 प्रतिशत तुरंत जमा करना होगा तथा शेष राशि बन्दोवस्ती अवधि की समाप्ति के एक माह पूर्व जमा करना होगा।
4. सफल बन्दोवस्तदार को नियमानुसार निबंधन शुल्क/मुद्रांक शुल्क जमा करना होगा। अनुपालन नहीं करने की स्थिति में प्रस्तावित बन्दोबस्ती रद्द कर दी जायेगी।
5. किसी भी परिस्थिति में बन्दोवस्ती राशि में किसी प्रकार की माफी या छूट नहीं दी जायेगी ।
6. बन्दोबस्तधारी को स्वयं खर्च पर नाव पुल का निर्माण एवं रख रखाव करना होगा।
7. बन्दोबस्तधारी को प्रथम तीन माह के उपरान्त बन्दोबस्ती की अवधि बढ़ाये जाने की स्थिति में प्रतिदिन की दर से बन्दोबस्ती की राशि का भुगतान करना होगा।
8. बी0पी0 मंडल सेतु के सामानांतर नाव पुल (अस्थायी सैरात) परिचालन का चुंगी दर निम्न प्रकार वसूलनीय होगा:–
   1. साईकिल भाड़ा–05 रूपया, 2. मोटर साईकिल भाड़ा–20 रूपया(एक तरफा)एवं 30 रूपया (दो तरफा), 3. चार चक्का वाहन (यात्री/निजी गाड़ी)–300 रूपया(एक तरफा) एवं 500 रूपया (दो तरफा), 4. ट्रैक्टर टेलर के साथ (खाली)–200(एक तरफा) एवं 300 रूपय (दो तरफा), 5. गाय/बैल/भैंस/घोड़ा–30 रूपया प्रति इकाई, 6. बकरा/बकरी/भेड़–05 रूपया प्रति इकाई । पैदल व्यक्तियों से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।
9. बन्दोबस्ती से संबंधित अंतिम निर्णय लेने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
10. वन्दोवस्ती कार्रवाई स्थगित/रद्द करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा ।
11. सुरक्षित जमा राशि में वृद्धि होने पर अंतर राशि की वसूली नियमानुसार बन्दोबस्तदार से की जायेगी।

ह0/–
समाहर्त्ता,
खगड़िया ।

E/revenue/january 2015/Sairat2015/BK mandal setu/alpkalin niwida

ज्ञापांक– /रा0, दिनांक
प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

ह0/–
समाहर्त्ता,
खगड़िया ।

ज्ञापांक– /रा0, दिनांक
प्रतिलिपि :– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । उन्हें निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं अन्य माध्यम से बन्दोवस्ती संबंधी अल्प कालीन निविदा सूचना का व्यापक प्रचार – प्रसार करेंगे ।

ह0/
समाहर्त्ता,
खगड़िया ।

ज्ञापांक– /रा0, दिनांक
प्रतिलिपि :– सभी अंचल अधिकारी, खगड़िया जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुपालनार्थ प्रेषित उपर्युक्त वर्णित सैरात की बन्दोवस्ती का व्यापक प्रचार–प्रसार भी अपने स्तर से करेंगे।

ह0/–
समाहर्त्ता,
खगड़िया ।

ज्ञापांक– /रा0, दिनांक
प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया/गोगरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
समाहर्त्ता,
खगड़िया ।

ज्ञापांक– /रा0, दिनांक
प्रतिलिपिः– वरीय उप समाहर्त्ता, जिला नजारत शाखा, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–
समाहर्त्ता,
खगड़िया ।

ज्ञापांक– 06 /रा0, दिनांक 3.01.2018
प्रतिलिपि :– जिला सूचना पदाधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित एवं निदेश है कि उपरोक्त सैरात संबंधी विज्ञापन जिला के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

समाहर्त्ता,
खगड़िया ।